ANNEXURE-II

MAHARASHTRA UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES, NASHIK

Homoeopathy Faculty

Trust Deed / Bylaws/Registration Certificate

(Trust/Hospital (Bombay Nursing Act)

Name of College: - DKMM Homoeopathic Medical College & Hospital, Chh.Sambhajinagar

College Code: - 4401

Sr.No.	Name of Trust /Society		Details
1.	Registration Certificate	:	**Trust /Society**:-Shri Guru Ganesh Sthankawasi jain Shikshan Samiti, Chh.Sambhajinagar **Hospital (Bombay Nursing Act)**:- DKMM Homoeopathic Medical College & Hospital, Chh.Sambhajinagar
2.	Name of the College/Institute (As per first Affiliation Letter or As per Change of Name Proposal Approved by the University)	:	Dakshin keshari Muni Mishrilalji (DKMM) Homoeopathic Medical College & Hospital, Chh.Sambhajinagar.
3.	Address with Pincode	:	Shri Guru Ganesh Nagar, Behind BiBika Makbara, Chh.Sambhajinagar-431001
4.	Email ID	:	dkmmhmc1989@gmail.com
5.	Telephone /Mobile No.(s)	:	(0240)- 2401051,2400512/743590415
6.	Website Address	:	dkmmhomoeocollege.com

Signature of Principal with Seal

PRINCIPAL
D.K.M.M. HOMOEOPATHIC
MEDICAL COLLEGE
AURANGABAD - 431 004

(289)

Amended as per order of [illegible] of the Asst. Registrar Aurangabad.

No. 34

Certificate of Registration

The Societies Registration Act, 1860

(ACT XXI OF 1860).

Registration No. PBN-1/66

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT Shri Guru Ganesh Sthan Jain ~~[illegible]~~ Shikshan Samiti At Partur Dist. Parbhani

[illegible] this day been duly registered under the Societies [illegible]ration Act, XXI of 1860.

Given under my hand this

day of 27th Jan 1966

Assistant Registrar of Societies,

Aurangabad Region.

PRINCIPAL
D.K.M.M. HOMOEOPATHIC
MEDICAL COLLEGE
AURANGABAD - 431 004

PRINCIPAL
D.K.M.M. HOMOEOPATHIC
MEDICAL COLLEGE
AURANGABAD - 431 004

अर्ज क्रमांक 396/21 कलम

अर्जदाराचे नांव ...

नक्कलेच्या अर्ज आला तो दिनांक 10/6/21

नक्कल तयार दि. ...

नक्कल दिली तो दि. 21/6/21

G.P.K.—(J) Ya 13—17,000 (175 bks.)—2.61

CERTIFICATE OF REGISTRATION

P.T. Inq. No. 13/66

Nº 10347

F-238 Jalna

P. T. R. Office Aurangabad Region Aurangabad.

Name of P. T. Shri Guru Ganesh Sthanakwasi Jain Smarak Samiti at Partur Tq. Partur Dist. Parbhani

Reg. No. F-45 (Parbhani)

To whom issued Shri Phulcharaj Ghamandiram R/o Sadar Bajar Jalna, Tq. Jalna Dist. Aurangabad

Date 23-4-1966.

Asstt. Issuing Authority

21/6/2021

प्र. अधीक्षक

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय

जालना विभाग, जालना

Copy Prepared by-

Copy Read by-

Copy Verified by-

21.6.2021

PRINCIPAL
D.K.M.M. HOMOEOPATHIC
MEDICAL COLLEGE
AURANGABAD - 431 004

(289)

Amended as per order of ... of the Asst. Registrar Aurangabad.

No. 34

Certificate of Registration

The Societies Registration Act, 1860

(ACT XXI OF 1860).

Registration No. PBN-1/66.

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT Shri Guru Ganesh Sthanak Jain Shikshan Samiti At Partur Dist. Parbhani

... this day been duly registered under the Societies ...ration Act, XXI of 1860.

Given under my hand this

day of 27th Jan 1966.

Assistant Registrar of Societies,

Aurangabad *Region.*

PRINCIPAL
D.K.M.M. HOMOEOPATHIC
MEDICAL COLLEGE
AURANGABAD - 431 004

अर्ज क्रमांक 396/21 कलम

अर्जदाराचे नांव श्री ओ. श्री कोठेd

नकलेच्या अर्ज आला तो दिनांक 10/6/21

नक्कल तयार दि. 21/6/21

नक्कल दिली तो दि.

G.P.K.—(J) Ya 18—17,500 (175 bks.)—2·61

CERTIFICATE OF REGISTRATION

P.T. Inq. No. 13/66

Nº 10347

F-238 Jalna

21/6/2021

अधीक्षक

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय

जालना विभाग, जालना

P. T. R. Office Aurangabad Region Aurangabad.

Name of P. T. Shri Guru Ganesh Sthanakwasi Jain Smarak Samiti at Partur Tq. Partur Dist. Parbhani

Reg. No. F-45 (Parbhani)

Copy Prepared by-

Copy Read by-

Copy Verified by-

21.6.2021

To whom issued Shri Phulkharaj Ghamandiram R/o Sadar Bajar Jalna, Tq. Jalna Dist. Aurangabad

Date 23-4-1966.

Assistant Charity Commissioner,

Aurangabad Region, Aurangabad.

Asstt. Charity Commissioner, Aurangabad Region, A'bad

Sd/-

PRINCIPAL

D.K.M.M. HOMOEOPATHIC MEDICAL COLLEGE

AURANGABAD - 431 004

" संस्थाकी -अचल सम्पत्ति की व्यवस्था संस्थाके नियम नियमानुसार करना, निम्नलिखित सदस्यों की जिम्मेवारी होगी ।"

	नाम	व्यवसाय	पता
(१)	श्री सेठ गुलाबचंद वखमल सुराणा	व्यापार	२५ हिसामगंज, बुलाराम (हैदराबाद) ।
(२)	श्री रुदेराज हरकचंदजी	व्यापार खेती	मु.पोस्ट - बीबी तहसील मेहकर (जिला-बुलढाना) ।
(३)	श्री भिकुलाल छगनमल बाठिया	व्यापार	परभनी (मराठवाडा) ।
(४)	श्री पन्नालाल धनराज जैन	व्यापार	जालना (जिल्हा औरंगाबाद)
(५)	श्री कल्याणमल अमोलकचंद जैन	व्यापार	परतूर, जिल्हा-परभणी ।
(६)	श्री बंसीलाल फूलचंद जैन	व्यापार	परतूर, जिल्हा-परभणी ।
(७)	श्री पुखराज भागचंद संचेती	व्यापार	लोणार, जिल्हा-बुलढाना ।
)	श्री सुगनचंद धनराज जैन	व्यापार खेती	मु.पो.नेर, जिला - यवतमाल ।
	श्री पुखराज घमंडीराम जैन	व्यापार	जालना, जिला-औरंगाबाद
	श्री पेखरचंदजी साखला	व्यापार	रविवार पेठ, नासिक (जिला नासिक) ।
	ी फकीरचंद शंकरलाल	व्यापार	जामनेर, जिला - जलगांव
	ी बिरदीचंद लालचंद गेलडा	व्यापार	बोदवड, जिला - जलगांव
	श्री पीरचंद छाजेड	व्यापार खेती	चांदूर रेल्वे, जिला - अमरावती ।
	श्री मानचंद लादूराम	व्यापार	कामारड्डी (हैदराबाद) ।
(१५)	श्री जम्बूकुमार रेखचंदजी संचेती	व्यापार	बुलडाना ।

PRINCIPAL
D.K.M.M. HOMOEOPATHIC
MEDICAL COLLEGE
AURANGABAD - 431 004

(७)

श्री गुरुगणेश स्थानकवासी जैन स्मारक समिति, परतूर

...ज क्रमांक 396/L
अर्जदाराचे नांव ...डॉ. डी. के...
मेमोरण्डम ऑफ असोसिएशन

नक्कलेच्या अर्ज आला तो दिनांक 10/6/24
नक्कल तयार दि. ...
नक्कल दिली तो दि. 21/6/24

(५)

(१) संस्थाका नाम :- श्री गुरुगणेश स्थानकवासी जैन स्मारक समिति।

(२) संस्थाका पूरा पता :- श्री गुरुगणेश स्थानकवासी जैन स्मारक समिति, परतूर जिल्हा - परभणी (महाराष्ट्र)।

अधीक्षक
सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय
जालना विभाग जालना

(३) संस्थाके उद्देश्य :-

क) आर्हती संस्कृति एवं सभ्यता का संरक्षण, संवर्द्धन, प्रचार-प्रसार करना।

ख) जैनागमों की मूलभाषा प्राकृत, अर्द्ध मागधी एवं संस्कृत तथा राष्ट्रभाषा हिन्दी का सर्वांगीण विकास करना।

ग) पूज्य साधु साध्वीवृन्द के अध्ययनार्थ उचित स्थल पर सिद्धान्तशाला स्थापित करना।

घ) पुस्तकालय, वाचनालय, पाठशाला, छात्रालय, अनाथालय आदि समाजोपयोगी संस्थाएँ स्थापित करना।

ङ) महिलाओं के जीवन विकास हेतु श्राविकाश्रम का निर्माण करना।

च) समाज के उत्थानके लिए सत्प्रवृत्तियाँ एवं ग्रामोद्योगोंका संचालन करना।

छ) जैन समाजके होनहार छात्रोंको विशिष्ट छात्रवृत्तियाँ प्रदानकर संस्कृत एवं प्राकृत के प्रौढ विद्वान तैयार करना।

ज) स्थान--स्थान पर धार्मिक शिक्षण की व्यवस्था करना।

झ) आध्यात्मिक विकास हेतु स्वाध्याय मण्डल चालू करना।

ञ) अहिंसा के प्रचार--प्रसार का समुचित प्रबंध करना।

ट) जैनागम-जैन-दर्शन के अलभ्य ग्रंथोंका संपादन, प्रकाशन करना।

ठ) धार्मिक, आध्यात्मिक पत्रिका का प्रकाशन करना।

ड) संस्थाके सदुपदेष्टा तपस्वी मुनि श्री मिश्रीलालजी महाराज ... योग्य प्रतीत हो ऐसे समाजोपयोगी प्रवृत्तियोंका संचालन ...

Shal.
PRINCIPAL
D.K.M.M. HOMOEOPATHIC
MEDICAL COLLEGE
AURANGABAD - 431 004

" हम निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्ता श्री गुरुगणेश स्थानकवासी जैन स्मारक समिति के मेमोरण्डम ऑफ असोसिएशन के अनुसार रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं ।"

क्रम	नाम	पद	हस्ताक्षर
(१)	श्री गुलाबचंद वचनमल सुराणा	अध्यक्ष	
(२)	श्री उदेराज हरकचंद रेदासणी	उपाध्यक्ष	
(३)	श्री पुखराज घमंडीराम	सेक्रेटरी	
(४)	श्री बन्सीलाल फूलचंद जैन	असिस्टंट सेक्रेटरी	
(५)	श्री कल्याणमल ओटरचंद जैन	कोषाध्यक्ष	
(६)	श्री मिठूलालजी ओकलजी बांठिया	सदस्य	
(७)	श्री पुखराज भागचंदजी संचेती	सदस्य	

दिनांक

स्थान --

साक्षी -- (१) श्री

स्थान परतूर (जिला--परभनी)

हस्ताक्षर

दिनांक - 29/1/66

(२) श्री Kachnalal ... Bhandari.

स्थान परतूर (जिला - परभनी)

हस्ताक्षर Date — 21-1-66.

अधीक्षक
सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय
जालना विभाग, जालना

PRINCIPAL
D.K.M.M. HOMOEOPATHIC
MEDICAL COLLEGE
AURANGABAD - 431 004

Copy Prepared by
Copy Read by-
Copy Verified by

(92)

श्री गुरू गणेश स्थानकवासी जैन स्मारक समिति, परतूर

के

नि य मो प नि य म

Shal.
PRINCIPAL
D.K.M.M. HOMOEOPATHIC
MEDICAL COLLEGE
AURANGABAD - 431 004

जैन
श्री गुरु गणेश स्थानकवासी स्मारक समिति, परतूर (जिला परभनी, महाराष्ट्र)

(स्थानकवासी जैन समाजके प्रखर तपस्वी उग्र विहारी श्री १००८ श्री गणेशलाल जी महाराज के सच्छिष्य तपोनिष्ठ पं. मुनि श्री मिश्रीलाल जी महाराज के सदुपदेश से दिनांक ७ फरवरी, १९६५ के रोज संस्थापित.)

(6)

संस्था के नियमोपनियम

१ नाम :- इस संस्था का नाम, श्री गुरु गणेश स्थानकवासी जैन स्मारक समिति रहेगा.

२ कार्यालय :- संस्था का कार्यालय वर्तमानमें परतूर नगर जिला परभनी में रहेगा. किन्तु महती सभा के दो तिहाई सदस्यों की सम्मति से उचित स्थल पर - परिवर्तन आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा.

३ वर्ष :- इस संस्था का वर्ष प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से कार्तिक वद्य ३० तक माना जायगा.

४ उद्देश्य :- (क) आर्हती संस्कृति एवं सभ्यताका संरक्षण, संवर्द्धन, प्रचार-प्रसार क.
(ख) जैनागमों की मूलभाषा प्राकृत, अर्द्ध मागधी एवं संस्कृत तथा - राष्ट्रभाषा हिन्दी का सर्वांगीण विकास करना.
(ग) पूज्य साधु साध्वी वृन्द के अध्ययनार्थ उचित स्थल पर सिध्दांत - शालाएँ स्थापित करना.
(घ) पुस्तकालय, वाचनालय, पाठशाला, छात्रालय, अनाथालय आदि समाजोपयोगी संस्थाएं स्थापित करना.
(ङ) महिलाओं के जीवन विकास हेतु भाविका-श्रम का निर्माण करना.
(च) समाज के उत्थान के लिए सत्प्रवृत्तियाँ एवं ग्रामोद्योगों का संचालन करना.
(छ) जैन समाज के होनहार छात्रों को विशिष्ट छात्रवृत्तियाँ संस्कृत एवं प्राकृत के प्रौढ विद्वान तयार करना.
जैनेतर धर्म्म प्रेमी तथा संस्कारी होनहार ...
निर्णय इस समिति के सुचार ...
१००८ श्री मिश्रीलाल जी महा...
परम्परामें आनेवाले संतों ...

Shaf.
PRINCIPAL
D.K.M.M. HOMOEOPATHIC
MEDICAL COLLEGE
AURANGABAD - 431 004

(ज) स्थान स्थान पर धार्मिक शिक्षण की व्यवस्था करना.

(झ) आध्यात्मिक विकास हेतु स्वाध्याय मण्डल चालू कराना.

(ञ) अहिंसा के प्रचार-प्रसार का समुचित प्रबंध करना.

(ट) जैनागम जैन दर्शन के अलभ्य ग्रंथों का संपादन, प्रकाशन करना.

(ठ) धार्मिक आध्यात्मिक पत्रिका का प्रकाशन करना .

(ढ) संस्थाके सदुपदेष्टा तपस्वी मुनि श्री मिश्रीलाल जी महाराज को योग्य प्रतीत हों, ऐसे समाजोपयोगी प्रवृत्तियों का संचालन करना.

(ड) प्रकाशन कार्य के लिए प्रेस आदि की स्थापना करना और प्रोत्सा[illegible] दे कर रचनात्मक साहित्य का निर्माण करना.

५ कार्यक्षेत्र :- संस्थाके उद्देश्योंकी पूर्ति के लिए जिन स्थलों पर सत्प्रवृत्तियों का संचाल किया जायगा, वे स्थल संस्थाके कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत माने जायेंगे.

६ संस्था के सदस्यों की निम्न लिखित श्रेणियाँ होंगी :-

(अ) मूल आधारस्तंभ सदस्य श्रेणी : इसमें एक मुश्त रु ५००१-०० (रुपये - पाँच हजार एक) [illegible] देने वालोंका [illegible] होगा.

(आ) आधारस्तंभ सदस्य श्रेणी: इसमें एक मुश्त रु १००१-०० (रुपये - एक हजार एक) या इससे अधिक देने वालोंका समावेश होगा.

(इ) संरक्षक सदस्य श्रेणी: इसमें एक मुश्त या दो किश्तों में ५५१-०० (रुपये पाँच सौ [illegible] एकावन मात्र) देने वालो का सम[illegible] होगा.

(ई) आजीवन सदस्य श्रेणी: इसमें एक मुश्त या दो किश्तों [illegible] (रुपये पाँच सौ एक) या इस[illegible] देने वालों का समावेश हो[illegible] प्रतिवर्ष रु १०१-०० (रुपये [illegible] प्रदान कर जो सज्जन [illegible] रु ५०१-०० की [illegible] जो सज्जन [illegible]

PRINCIPAL
D.K.M.M. HOMOEOPATHIC
MEDICAL COLLEGE
AURANGABAD - 431 004

(ऌ) आश्रयदाता सदस्य श्रेणी : इसमें एक मुश्त २५१-०० रुपये दो सौ ५१ या इससे अधिक धन देने वालों का समावेश होगा.

(4)

(ऊ) वार्षिक सदस्य श्रेणी : रु ११-०० (रुपये ग्यारह मात्र) प्रति वर्ष देने वालों का इसमें समावेश होगा.

(ए) मानद सदस्य : संस्थाको बौध्दिक अथवा अन्य प्रकार की सहायता देने वाले महानुभाव कार्यकारिणी की सम्मति से इस श्रेणी के सदस्य बनाये जा सकते हैं.

७ संस्थाके कार्य अंग : संस्था का कार्य सुव्यवस्थित चलाने के लिए महती सभा, कार्यकारिणी सभा और विश्वस्त-मण्डल ये तीन अंग होंगे.

८ महती सभा : (१) नियमोपनियम कंडिका ६ के अन्तर्गत जो महानुभाव सदस्य बनेंगे, इन सभी का समावेश महती-सभा के सदस्य के रूप में होगा.

(२) महती सभा के निम्न लिखित कार्य होंगे :-

(अ) कार्यकारिणी-सभा, विश्वस्त-मण्डल और अन्यान्य पदाधिकारियों का निर्वाचन करना.

(आ) नियमोपनियम स्वीकृत करना.

(इ) संस्था की सम्पूर्ण सत्ता इस सभा के अधीन होगी.

(ई) [illegible] करेगी, किन्तु विशेष स्थिति में मंत्री या [illegible] एक तृतियांश सदस्य की सम्मति से विशेष-बैठक [illegible] बुलाई जा सकती है. ऐसी बैठक बुलाने के लिए बैठक-सूचना पत्र में स्पष्ट करना होगा.

(उ) महती सभा की वार्षिक बैठक की सूचना, पूर्व में १५ दिन पहले दी जायगी. (8)

(ऊ) महती सभा की बैठक के लिए कम-से-कम ग्यारह सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक होगी.

(ए) गण-पूर्ति के अभाव में बैठक आध घंटे तक स्थगित रखी जायगी तथा आध घंटे के बाद कथित बैठक उसी स्थान पर ले ली जायगी, तब बैठक के लिए गण-पूर्ति आवश्यक न होगी. लेकिन ऐसी बैठक में जारी किये गये बैठक-सूचनाके अलावा विषयों पर चर्चा न होगी.

(ऐ) सभी कार्य [illegible] सके तो सर्व-सम्मति से किया जायगा अन्यथा सदस्यों के बहुमत [illegible] होगा, बराबर मत पड़ने पर अध्यक्ष को [illegible]

Sd/-
PRINCIPAL
D.K.M.M. HOMOEOPATHIC MEDICAL COLLEGE
AURANGABAD - 431 004

(क) महती सभा की वार्षिक बैठक तानिष्ठ स्वर्गीय पूज्य गुरु की पुण्य-तिथि माघ व ३० के अवसर बुलवाई जायगी, ताकि उपस्थितों को सदुपदेष्टा, प्रखर तपस्वी दक्षिण केशरी मुनि श्री १००८ श्री मिश्री लाल जी महाराज सा. के मार्गदर्शन का अलभ्य लाभ प्राप्त हो कर उद्देश्य की पूर्ति हो सके।

(२)

९ कार्यकारिणी सभा : अधिकार और कर्तव्य :

(१) महती सभा द्वारा निर्वाचित ११ सदस्यों की यह सभा होगी।

(२) इस सभा की बैठक मंत्रीजी द्वारा सूचित स्थान पर प्रतिवर्ष महती-सभा की बैठक के एक दिन पूर्व या आवश्यकतानुसार बीच-बीच में भी बुलवाई जा सकती है।

(३) कार्यकारिणी सभा की बैठक के लिए ५ सदस्यों की गण-पूर्ति होनी चाहिए। किन्तु नियत समय तक गण-पूर्ति न हो सकी तब १ घण्टे तक बैठक स्थगित रखी जायगी और उसके बाद उसी स्थान पर उपस्थित सदस्यों द्वारा बैठक की कार्रवाई पूरी होगी। किन्तु बैठक-सूचना पत्र में दिये गये विषयों के अलावा किसी अन्य विषय पर कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।

(४) महती सभा के आदेशानुसार संस्था की समस्त प्रवृत्तियों का संचालन करना कार्यकारिणी सभा का उत्तरदायित्व होगा।

(५) अकस्मात् किसी सदस्य का स्थान रिक्त हो जाने पर आगामी महती सभा की बैठक तक अध्यक्ष महोदय उस स्थान के लिए किसी सदस्य की नियुक्ति कर सकते हैं।

(६) किसी कारणवश किसी वर्ष महती सभा की वार्षिक बैठक न हो सके तब की स्थिति में वर्तमान कार्यकारिणी आगामी महती सभा की बैठक होने तक पूर्ववत् कार्य चलायेगी, और जब महती सभा की बैठक होगी उस समय [illegible]

(७) कार्यकारिणी का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा. [illegible] महती सभा में प्रत्यक्ष विचार पध्दति से किया जायगा.

(८) संस्था के वैतनिक कार्यकर्ताओं की नियुक्तियां करना, इसका [illegible] वेतनवृध्दि करना. आडिटर की नियुक्ति करना और उस[illegible] करना, ये कार्य कार्यकारिणी के कक्ष में होंगे।

(९) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियमोपनियम तयार करना [illegible] के लिए महती सभा के समक्ष प्रस्तुत करना कार्यकारिणी का [illegible]

Shal
PRINCIPAL
D.K.M.M. HOMOEOPATHIC
MEDICAL COLLEGE
AURANGABAD - 431 004

(११) कार्यकारिणी सभा के पदाधिकारी महती सभा के भी पदाधिकारी होंगे.

१० विश्वस्त मण्डल : अधिकार और कर्तव्य :- (13)

(१) संस्था की स्थावर जंगम सम्पति की सुरक्षा एवं व्यवस्था के लिए महती सभाद्वारा चुने गये सात स्थानकवासी जैन समाज के सदस्यों का एक विश्वस्त-मण्डल होगा.

(२) संस्था की पूर्ण सम्पति का प्रबंध करना अर्थात धुवफण्ड किसी निश्चित प्रसिध्द बैंक या पीढी पर रखना और आवश्यकतानुसार कानून की कार्रवाई वगैरा करना इसी विश्वस्त-मण्डल का कार्य होगा.

(३) संस्था की ओर से कानून की कार्रवाई करने के लिए अध्यक्ष महोदय का नियुक्त सज्जन होगा.

(४) अचानक किसी ट्रस्टी का स्थान रिक्त हो जाने पर आगामी महती सभा की बैठक तक यह मण्डल किसी सज्जन की नियुक्ति ट्रस्टि रूप में कर सकेगा.

(५) विश्वस्त मण्डल को अपने अध्यक्ष और मन्त्री चुनने का अधिकार है

(६) कार्यकारिणी सभा की बैठक के अवसर यह विश्वस्त मण्डल अपना कार्य विवरण पेश करेगा, ताकि उस आधार पर कार्यकारिणी सभा बजट तयार कर सके.

(७) संस्था की स्थाई रकम में से व्यय करने का अधिकार विश्वस्त या कार्यकारिणी को नहीं होगा.

(८) वास्तविक खर्च से अधिक रकम उत्पन्न हो जाने पर भी किसी दूसरी संस्था के लिए उस रकम को व्यय करने का अधिकार विश्वस्त-मण्डल या कार्यकारिणी को नहीं होगा. किन्तु कार्य-क्षेत्र को और अधिक विशाल बनाने की योजना तयार की जायगी.

११ संस्था के पदाधिकारी : संस्था में मुख्यतया अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मन्त्री, सहमन्त्री, व्यवस्थापक और कोषाध्यक्ष रहेंगे.

१२ अध्यक्ष के अधिकार और कर्तव्य :

(१) संस्थाका कार्य सुचारू और शान्ति से चलाना, संस्था की सम्पूर्ण कारवाई एवं गतिविधियों पर ध्यान रखना, अध्यक्ष महोदय का प्रधान कर्तव्य होगा.

२) अध्यक्ष को अधिकार होगा कि वह किसी ऐसे प्रस्तावको जो ...निकारक एवं संस्था के उद्देश्य के प्रतिकूल हो तो बैठक

PRINCIPAL
D.K.M.M. HOMOEOPATHIC MEDICAL COLLEGE
AURANGABAD - 431 004

(१५)

का कार्य करे, तो अध्यक्ष को अधिकार होगा कि उसे ऐसा करने से रोकें, या उस दिन की बैठक से उसे पृथक कर दें.

(४) संस्था सम्बंधी आवश्यक कार्रवाई करने एवं कराने का भी उन्हें अधिकार होगा. आवश्यकता पडने पर वे संस्था के कार्यों से सम्बध्द कागज-पत्रों पर हस्ताक्षर भी करेंगे.

(५) ... किसी विषय पर समान मत पड़ने ... पर महती सभा ... या ... कार्य. एक की अध्यक्षता करने की स्थिति में अध्यक्ष महोदय को एक पृथक मत देने का अधिकार होगा.

उपाध्यक्ष के अधिकार और कर्तव्य : (१) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संस्था के समस्त कार्यों की देख-रेख करना और अध्यक्ष को प्राप्त सारे अधिकारों का उपभो करना तथा कर्तव्य पूर्ति करना.

१४ मंत्री के अधिकार एवं कर्तव्य :

(१) संस्था की ओर से पत्र-व्यवहार करना.

(२) अध्यक्ष महोदय की सम्मति से कार्यकारिणी बैठकें बुलवाने का प्रबंध करना.

(३) महती और कार्यकारिणी सभा में ... कारिणी सभा की बैठकों में पारित प्रस्त... करना.

(४) महती सभा और कार्य... की समस्त प्रवृत्तियों का सम्पूर्ण रूपेण संचालन करना एवं कार्य रूप देना ... योग्य मंत्रणाओं द्वारा संस्था का सर्वांगीण विकास करना, मंत्री का कार्य होगा.

१५ सहमन्त्री के अधिकार और कर्तव्य :

(१) मन्त्री महोदय के कार्यों में सहायता पहुँचाना.

(२) मन्त्री महोदय की अनुपस्थिति में मंत्री महोदय को प्रदत अधिकारों एवं कर्तव्यों का पालन करना, सहमन्त्री का कर्तव्य होगा.

१६ व्यवस्थापक के अधिकार एवं कर्तव्य :

(१) संस्थाके संचालन में अनुभव रखनेवाले, प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति इस पद के विशेष रूपेण अधिकारी होंगे.

(२) कार्यालय सम्बंधी उत्तरदायित्व का सम्... व्यवस्थापक का ...

Shal.
PRINCIPAL
D.K.M.M. HOMOEOPATHIC MEDICAL COLLEGE
AURANGABAD - 431 004

कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य : (15)

(१) संस्था का आय-व्यय व्यवस्थित रखना.

(२) महती सभा और कार्यकारिणी एवं विश्वस्त मण्डल की सम्मति से कोष की समुचित व्यवस्था करना.

(३) कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त आडिटर महोदय से संस्था का आय-व्यय परीक्षित करवा कर प्रतिवर्ष कार्यकारिणी के समक्ष रखें जिससे कार्यकारिणी उसे महती सभा के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगी.

१८ वित्त : (१) बैंक का व्यवहार निम्नलिखित पदाधिकारियों में से किसी दो के हस्ताक्षरों से होगा.

(अ) अध्यक्ष या (आ) मन्त्री (इ) कोषाध्यक्ष.

१९ ध्रुव फंड : मूल आधार स्तंभ और आधारस्तंभ सदस्यता श्रेणीयों से प्राप्त होनेवाली सदस्यता की रकमें ध्रुव फण्ड के अन्तर्गत मानी जायेंगी.

२० सदस्यता रद्द : किश्तों से रकम देने वाले सज्जनों की ओर से अगर लगातार दो साल तक किश्त की रकम नहीं आई, तब उनका नाम सदस्यता श्रेणी से हटा दिया जायगा और प्राप्त रकम केवल दान खातेमें प्रकाशित कर दी जायगी.

२१ नियमोपनियम संशोधन: इस संविधान के नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन, परिवर्तन, परिवर्ध्दन करने का अधिकार महती सभा को होगा, महती सभा अपनी बैठक बुलवा कर उसे प्रदत्त अधिकारों के बीच गे करेगी.

२२ इस संविधान की मान्यता अनुसार प्रखर तपस्वी, चारित्र वृद्ध उग्र विहारी, दक्षिण केशरी, जैन-धर्म्म दीपक, पंडित-रत्न श्री श्री १००८ श्री मिश्रीलालजी महाराज सा. ने समाज को जागृत कर जो महदुपकार/ उसका समाज विस्मृत नहीं कर सकेगा. अत: अध्यक्ष कार्यकारिणी सभा, महती सभा, विश्वस्त मण्डल एवं - इस समिति की पदाधिकारी महाराज श्री की सूचनाएँ सदैव मान्य करेंगे. संविधान ने यह भी निर्णय किया है कि इनके बाद इन... ...े, उनके परम्परामें इनके स्थान ...की इस समिति को

Shah
PRINCIPAL
D.K.M.M. HOMOEOPATHIC
MEDICAL COLLEGE
AURANGABAD - 431 004

ध्रुव फण्ड व्यय करने का अधिकार: ध्रुव फण्ड में एकत्र रकम को व्यय करने का अधिकार कार्यकारिणी को होगा. इसके लिए उसे प्राप्त बैठकके अधिकारों का उपयोग कार्यकारिणी करे.

सहायक धर्मादाय आयुक्त
Assistant Charity Commissioner
जालना विभाग जालना

21/6/2021
प्र. अधीक्षक
सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय
जालना विभाग, जालना

21/6/2021
Copy Prepared by-
Copy Read by-
Copy Verified by-

PRINCIPAL
D.K.M.M. HOMOEOPATHIC
MEDICAL COLLEGE
AURANGABAD - 431 004